

A-1.6-1

Form-1  
(For Linear Projects)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District collector Pithoragarh

No.....

Date- 29/11/2019

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers. (recognition of forest rights) act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 1.440 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Gram Vikash Department, Govt. of UK for the construction of Motor Road From Baiyat to Baugad in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Selipak villages in Berinag Tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.440 hectares of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s) sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure-30.1 to ----- annexure-30.4
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dated. 29/11/2019

Signature

(H.C. Semwal)  
District collector  
Pithoragarh

A-1-6-2

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित बैराट-बौराड़ से बोगाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE  
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee Constituted under Schdule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act. (FRA), 2006.

A meeting of the District level committee of Pithoragarh District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. H.C. Semwal, I.A.S., District Magistrate Pithoragarh on Date 29/11/2014 at Pithoragarh in which the application claiming right in mail area measuring Hect. for the construction of Baerat-Bearan to Bogad Motor Road of Forest Level Committee of Berinag Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the document and detail discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Pithoragarh

Dated:- 29/11/2014

(H.C. Semwal)  
District Magistrate,  
District Level Committee  
Distt.-Pithoragarh

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित बैराट-बौराड़ से बोगाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2003 के तहत

प्रमाण पत्र

जिला स्तरीय समिति- पिथौरागढ़

उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत बैराट-बौराड़ से बोगाड़ मोटर मार्ग, (2.196 हे० नाप भूमि, 1.440 हे० सिविल सोयम वन भूमि, 23.22 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.626 हे० वन भूमे। का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (तहसील- बेरीनाग) की दिनांक 26/10/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच०सी० सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री एच०सी० सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- डा० इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री श्याम लाल आर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
- 4- श्री सुब्बरामिन्द्र सुब्बरा..... सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र संगोड़-पारु..... सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बैराट-बौराड़ से बोगाड़ मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.626 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
जिला सदस्य कल्याण अधिकारी  
पिथौरागढ़

सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र  
सदस्य

सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र  
बेरीनाग  
(पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, बैराट-बौंगाड-बैराजुब्बर मोटर मार्ग तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बेरीनाग  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति-बेरीनाग

उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत बैराट-बौंगाड-बैराजुब्बर मोटर मार्ग, ( 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.440 हे० सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.440 हे० वन भूमि ) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-बेरीनाग) की दिनांक 26/10/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हेमेन्त कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री हेमेन्त कुमार वर्मा उपजिलाधिकारी.....	बेरीनाग	अध्यक्ष
2-	श्री गणेश दत्त जोशी उप प्रभागीय वनाधिकारी.....	बेरीनाग	सदस्य
3-	श्री बन्शीधर पन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी.....	बेरीनाग	सदस्य/सचिव
4-	श्री.....	बी०डी०सी० क्षेत्र बेरीनाग	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि बैराट-बौंगाड-बैराजुब्बर मोटर मार्ग परियोजना हेतु 9.087 हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की सकती है।

उपजिलाधिकारी  
उप जिला अधिकारी  
पिथौरागढ़  
(उत्तराखण्ड)

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी  
सहायक सदस्य/सचिव  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

बी०डी०सी० क्षेत्र  
पंचायत मुख्यालय  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, बैराट-बौंगाड-बैराजुब्बर मोटर मार्ग तक का नव निर्माण हेतु वन हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम:-बैराजुब्बर

तहसील-बेरीनाग

जिला-पिथौरागढ़

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बैराट-बौंगाड-बैराजुब्बर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.196 हे० नाप भूमि, 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.440 हे० सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.636 हे० भूमि का ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट (पिथौरागढ़) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयद्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैराजुब्बर द्वारा दिनांक 26.07.2012 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टाना एवं बौंगाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बैराट-बौंगाड-बैराजुब्बर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नहीं है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नहीं है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नहीं लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
वन पंचायत सरपंच

ह०/-  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत बैराट जुब्बर  
वि० ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

ह०/-  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

आज कि 22-11-11 को ग्राम पंचायत बैराबुब्बर व ग्राम पंचायत बौगाड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बैराबुब्बर - बौगाड मोटर मार्ग के समरेखण के सम्बन्ध में खुली बैठक की गई है। जिसमें ग्राम प्रधान बौगाड - मोहन राम, ग्राम प्रधान बैराबुब्बर - लीमरी बरानी पैवी उपस्थित थे। उक्त मोटर मार्ग का समरेखण करके - पारर मोटर मार्ग के बीच से सस्ताव बंधपुर राम 5/6 प्रताप राम के खेत से बंधुर राम 5/6 सुमन राम व सोबन राम 5/6 ठला राम व चक्र राम उठ खीन राम अदि के खेतों से होकर प्रा० पाठरात्ता बैराबुब्बर के नीचे से जायेगी। खेती गधेरे से बैरागाड से होते हुए होना, सिगली, बौगाडी लोके से खेतों के निकट के गोकाम के पास व जगदीश सिंह बंधुर सिंह के खेत पटौली से दुरमुल मंदिर व प्रा० पाठरात्ता का रास्ता से फलवारी तक जायेगी। इस समरेखण में नाप, बैनाप तथा किसी भी प्रकार की कोई भी भूमि आन पर किसी भी ग्रामवासी को कोई भी आपत्ति नहीं है।

22/11/11  
 ग्राम पंचायत बैराबुब्बर  
 वि० प्र० बेनीनाथ (प्रधान)

उक्त मोटर मार्ग में ग्राम पंचायत बैराबुब्बर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1- श्री लक्ष्मण कुमार | 11 Madan Singh         |
| 2- श्रीपत राम         | 12 शिव                 |
| 3 जगत राम             | 13 शंकर सिंह           |
| 4 Bakant Kumar        | 14 सुधीर (नारायण सिंह) |
| 5 Kamlesh Kumar       | 15 शंकर (विष्णु काका)  |
| 6 राजू                | 16 राजेश               |
|                       | 17 Omraj Singh         |
| 17 राजेश              | 18 Bhanu               |
| 18 सुभा               | 19 जगदीश               |
| 19 लक्ष्मण            |                        |
| 20 बालाचंद्र          |                        |

22/11/11  
 ग्राम पंचायत बैराबुब्बर (बौगाड)  
 वि० प्र० बेनीनाथ (प्रधान)

Photocopy  
 Attached  
 A  
 A. E. R. E. S.  
 P. U. - P. M. O. B. Y.  
 - D. W. R.

सेवाने, प्रमाण अधिकाधिक (अभियन्ता महोदय,  
पी.एन.एस.वाडि. डीडीएच पिपौरगढ़ (उच्छेद)

महोदय, सत्य निवेदन है कि बैराजवर-बोगाड पोस्टाखू वि.के.केरीनाग  
पिपौरगढ़ में पी.एन.एस.वाडि के सुनिश्चित स्वीकृत सड़क योजना की संघ  
वर्तमान समय तक 3 (तीन) वर सड़कें हो चुकी हैं,

महोदय, पूर्ववत् आपके कार्यालय में ग्राम पंचायत बैराजवर एवं ग्रा.पं.  
बोगाड की ओर से निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं,

क्रि. संस्त ग्राम वासी बैराजवर एवं समस्त ग्राम वासी बोगाड  
पूर्ण रूप से (अंतिम) माना जाय, महोदय अधिकारी में निम्न की सूची  
को ही पूर्ण (अंतिम) माना जाय,

महोदय, अंतिम तक की सूची को ही अंतिम सूची मान कर विभाग  
द्वारा न यथाशीघ्र अंतिम कार्यवाही की जाय; समस्त ग्राम वासी आपके  
आभारी होंगे,

दि: 14.7.12.

1. ~~...~~
2. ~~...~~
3. ~~...~~
4. ~~...~~
5. ~~...~~
6. ~~...~~
7. ~~...~~
8. ~~...~~
9. ~~...~~
10. ~~...~~
11. Bahadur
12. ~~...~~
13. ~~...~~
14. चमर राम
15. प्रेम राम
16. देवतन राम
17. ~~...~~

18. हरिश राम
19. ~~...~~
20. ~~...~~
21. ~~...~~
22. ~~...~~
23. ~~...~~
24. ~~...~~
25. ~~...~~
26. सुरेश
27. नारायण
28. ~~...~~
29. ~~...~~

आणित क्रि.


received-14/07/12  
श्री. प्रकाश चंद्र. राम  
ग्राम बोगाड पोस्टाखू  
वि.के.केरीनाग (पिपौर गढ़)

Photocopy Attached  
M  
SERS  
P.U.-P.M.O.V.  
D.D.

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

₹. 10



TEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

19AA 704736

हम वैराह वीरगढ़ के समस्त ग्राम वाली वैराह वीरगढ़ मोटे माली से  
असजित भूमा निहाला हेतु अपनी नाम भूमि, वज्र, वेमाप,  
भूमि देने के लिए हम समस्त ग्रामवाली समस्त ही  
यदि आविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से  
मालवा डालने पर आपत्ति जतायी जाती हो तो हम समस्त  
ग्रामवाली इसके विरुद्ध उचारणी रहेगी।

1. कर्माचार (अमलसिंह काका)
2. देवका (दीपक काका)
3. श्री रवींद्र सिंह काका
4. रक्षागोविंद
5. कृपाम सिंह काका
- 6.
7. Madan Singh

Photocopy attached

Ast. Engineer  
R.E.S. P.M.G.S.Y  
Dildihat

